

(DEPT. OF GEOGRAPHY)

A.N.D. COLLEGE, SHAHPUR PATORY, SAMASTIPUR

FOR B.A. - II (Subs)

PAPER - II, GEOGRAPHY OF INDIA

LECTURE - 59

UNIT - 1

SOIL CONSERVATION (मृदा संरक्षण)

मानवीय कार्यों द्वारा आज मृदा अपरदन एवं मृदा क्षय हो रहा है। अतः मानव द्वारा इसे रोकना भी जाना चाहिए। संतुलन बनाए रखना प्रकृति का नियम है। बिना संतुलन की बुकसान पहुंचाए बिना भी प्रकृति मानवों को अपनी आवश्यकता का विकास करने के पर्याप्त उपसर प्रदान करती है।

“मृदा संरक्षण एक विधि है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है।”

मृदा अपरदन के बढ़ने का कारण है - दोषपूर्ण पद्धतियाँ ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना प्रथम समाधान है। 15-25% ढाल प्रवणता वाली भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, इसका प्रयोग कृषि के लिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी भूमि पर खेती करना पड़ भी जाए तो सर्वप्रथम सावधानीपूर्वक सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अत्यधिक चराई और स्थानांतरण कृषि के कारण भूमि का प्राकृतिक आवरण पुष्टभाविता हुआ है। परिणामस्वरूप विस्तृत क्षेत्र अपरदनग्रस्त हो गए हैं। अतः अत्यधिक चराई और स्थानांतरण कृषि पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। मृदा अपरदन को कम करने के लिए कुछ उपचार ज्ञापनाए जाते वाले उपाय अग्रलिखित हैं -

- 1) मिश्रित खेती तथा शस्यवर्तन
- 2) आवरण फसलें उगाना (2)
- 3) नियंत्रित चराई
- 4) नियमित बिक्री
- 5) समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना
- 6) समोच्च रेखा के अनुसार मोड़वेंदी

इन उपायों को अपनाकर मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। अवनालिका अपरदन को भी रोकना तथा नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगुंण्याकार अवनालिकाओं (GULLYS) को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त कर सकते हैं। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बाँधों की एक शृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करना ज्यादा जरूरी होता है। यह कार्य अवनालिका को बंद करके, सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके हो सकता है।

शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में बालू के टीलों का प्रसार प्रमुख समस्या है। घाटों की शैखला बनाकर तथा वन्य-कृषि करके इसकी रक्षा की जा सकती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में परिवर्तित कर देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क-भूमि अनुसंधान संस्थान (CAZRI) ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों

को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। ये योजनाएँ जलवायु की दशाओं, मृदा संरक्षण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएँ भी एक-दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। मृदा उपयोग की समन्वित योजनाओं द्वारा ही मृदा संरक्षण किया जा सकता है, यही सर्वोत्तम उपाय है। मृदा का उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकरण करना आवश्यक है। मृदा उपयोग के मानक बनाकर मृदा का सही उपयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण का दायित्व उन लोगों पर ज्यादा है जो उसका उपयोग कर उससे लाभ उठाते हैं।